

कार्यालय प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, डेगाना

विद्या—संबल गेस्ट फेकल्टी योजना (सत्र 2024–25) आवेदन—पत्र

आवेदित महाविद्यालय का नाम.....

आवेदित विषय

1. आवेदक का नाम.....
2. पिता का नाम.....
3. माता का नाम.....
4. जाति वर्ग.....
5. जन्म दिनांक
6. मोबाइल नं/वाट्सएप नं.....
7. स्थायी पता.....
8. मेल आईडी.....
9. शैक्षणिक योग्यता (निजी अभ्यर्थियों हेतु) का विवरण :—

फोटो मय
हस्ताक्षर

क्र. स	कक्षा	बोर्ड/विश्वविद्यालय	उत्तीर्ण वर्ष	श्रेणी	कुल प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत	अंक निर्धारण
1.	10वीं						
2.	12वीं						
3.	स्नातक						
4.	अधिस्नातक						
5.	एम.फिल						
6.	पीएच.डी.						
7.	जेआरएफ सहित नेट						
8.	नेट/स्लेट या सैट						
9.	अध्यापन अनुभव						
10.	शोध पत्र प्रकाशन						
11.	पुरस्कार						

शोध प्रकाशन/ शोधपरान्त अनुभव/ पुरस्कार आदि का विवरण

- शोध प्रकाशन/ शोधोपरान्त अनुभव/ पुरस्कार आदि का विवरण।
- शोध प्रकाशन का विवरण (सहकर्मी द्वारा समीक्षित या यूजीसी द्वारा सूचीबद्ध जर्नल में प्रकाशित शोध पत्र ही मान्य होंगे।) – लेखक/लेखकों का नाम, शोध-पत्र का टाईटल, जर्नल का विवरण मय प्रकाशन तिथि की सूची एवं शोध पत्रों की प्रतिलिपि संलग्न करें।
- शिक्षण/पोस्ट डॉक्टरल अनुभव का विवरण मय प्रमाण-पत्र।
- पुरस्कारों का विवरण –
(अ) अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त किये गये पुरस्कारों का विवरण मय प्रमाण
(ब) राज्य स्तरीय स्तर पर प्राप्त किये गये पुरस्कारों का विवरण मय प्रमाण
- अभ्यर्थी अपने सभी दस्तावेजों की स्वयं प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें।

हस्ताक्षर आवेदक

शपथ

मैं शपथपूर्वक बयान करता/करती हूँ कि उपर्युक्त वर्णित सभी सूचनाएं मेरी जानकारी में सही एवं सत्य हैं यदि इन सूचनाओं में किसी प्रकार की त्रुटि अथवा मिथ्या कथन पाया जाता है तो मैं स्वयं इसके लिए उत्तरदायी हूँ। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा संबल (गेस्ट-फेकल्टी) विज्ञप्ति में वर्णित परिपत्र की समस्त शर्तों का मेरे द्वारा अध्ययन कर लिया गया है एवं मैं उक्त सभी शर्तों की पालना करने का वचन देता/देती हूँ।

शपथगृहिता के हस्ताक्षर

प्रारूप

शपथ- पत्र

मैं श्री/ श्रीमती/ कुमारी.....पुत्र/ मुत्री/ पत्नी श्री (संस्थान का नाम)..... में
दिनांक..... को प्रति कालांश के आधार पर अधिकतम 24 सप्ताह अथवा 28 फरवरी, 2024 जो भी पहले हो तक
के लिए (अधिकतम 14 साप्ताहिक घंटे के अनुसार) गैरस्ट फैकल्टी के रूप में आध्यापन कार्य हेतु आमंत्रित किया गया
हूँ।

1. यह है कि मैंने संस्थान द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक के क्रम
में अपना आवेदन प्रस्तुत किया है तथा मैंने विज्ञापन में वर्णित शर्तों को पढ़ व समझ लिया है तथा उन शर्तों की
पालना हेतु वचनबद्ध हूँ।
2. यह है कि मैंने राजस्थान सरकार के वित्त (राजस्थान वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिवर्त्र क्रमांक प.
6(2)वित्त/राज वि ले नि/2021 दिनांक 30.03.20/21 एवं दिनांक 07.08.2023 को अच्छे से पढ़/समझ लिया है।
3. यह कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गयी समस्त सूचनाएं पूर्णतया सत्य हैं। तथा कोई तथ्य छिपाया
नहीं गया है।
4. यह कि मेरे द्वारा जमा किये गये समरत शैक्षिक/प्रशिक्षण संबंधी मूल अभिलेख एवं अन्य दस्तावेज जो संस्थान द्वारा
अपेक्षित हैं (यथा पहचान पत्र जो आवेदन पत्र में अंकित हो, न्यूनतम शैक्षिक पात्रता परीक्षा प्राप्त प्राप्तांक, निवास, जाति,
विकलांगता, भूपूर्ष से रख्याएं संवंधित प्रमाण पत्र) पूर्णतया सही हैं।
5. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त मूल अभिलेख एवं अन्य सूचनाएं यदि जांच के दौरान
कूटरचित/फर्जी अथवा गलत पायी जाती हैं तो मुझे गैरस्ट फैकल्टी से निर्मुक्त कर दिया जाएगा। जिला रस्तीय समिति
के empellement से निर्मुक्त करते हुए मेरे विलद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही मुझे रवीकार्य होगी जिसके लिए
किसी भी न्यायालय में घाद दायर नहीं करूँगा/करेंगी।
6. यह है कि मैं कार्य निष्पादन के दौरान नियमानुसार उच्च गान्दर्भों के अनुसार अपनी रोबाएं प्रदान करूँगा /करूँगी
तथा यदि मैं इसका उल्लंघन करता हूँ करती हूँ तो संस्था एकतरफा कार्यवाही हेतु रवतंत्र तथा अधिकृत होगी।
7. यह है कि मैंने यह अच्छे से समझ लिया है कि यह व्यवरथा पूर्ण रूप से अरथात् तथा अधिकतम 24 सप्ताह अथवा
दिनांक 28.02.2024 जो भी पहले हो तक के लिए है। मैं नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करूँगा/करूँगी।
8. इस व्यवरथा से नियमित नियुक्ति या अन्य किसी भी कारण से मुझे यदि गैरस्ट फैकल्टी के रूप में नहीं बुलाया जाता है
तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशारानिक रूप पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।
9. मैं संस्थान द्वारा समय-समय पर जारी नियमों/निर्देशों की पूर्ण पालना करूँगा/करूँगी।
10. यह कि मुझे केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी राजनीय प्राधिकारी अथवा समुचित प्राधिकारी के
रचान्त्राधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय अथवा विभाग द्वारा पदच्युत नहीं किया गया है तथा नैतिक
अधमता अथवा किसी अन्य अपराध के लिए दोष रिद्ध नहीं किया गया है और न ही कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय
में लंबित है।
11. मैंने यह समझ लिया है कि निम्न कार्य कुशलता, दुरुआधरण, अनियमितता तथा कार्य रो अनुपस्थिति की दशा में संस्थान
या सक्षम अधिकारी को बिना कारण यताये मुझे गैरस्ट फैकल्टी के रूप में निर्मुक्त करने का अधिकार होगा।
12. मैं राजकीय अभिलेख तथा सूचनाओं की गोपनीयता यताये रखूँगा तथा इसका उल्लंघन करने पर
नियमानुसार दण्डीय कार्यवाही का उत्तरदायी होऊँगा।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथपूर्वक यथान करता हूँ/करती हूँ कि उपर्युक्त वर्णित विंदु संख्या 1 से 14 वर्णित तथ्य/सूचना मेरी
जानकारी में सही तथा सत्य हैं, मैंने इनको भलिमात्रे पढ़ तथा समझ लिया है, मैंने कुछ भी असत्य वक्त नहीं किया है
तथा न ही कुछ छिपाया है। यदि भविष्य में कोई रूपना/तथा असत्य या अपूर्ण रिद्ध होता है तो मैं रख्य इसके उत्तरदायी रहूँगा।

शपथग्रहिता